न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :

1. अनील कुमार पुत्र सीताराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 7 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. सुनील जालप पुत्र सीताराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 7 सादुलशहर तहसील सादुलशहर हाल निवासी आर 5 क्वाटर 5 थर्मल कालोनी प्रभात नगर सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

———वादीगण

बनाम

1. सीताराम पुत्र भयोपतराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 7 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. परमेश्वरी पत्नी सीताराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 7 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।
3. मंजू पुत्री सीताराम पत्नी विनोद प्रकाश जाति कुम्हार निवासी नजदीक तारघर हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ जं0 राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

———प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गतधारा 88, 53 आर टी ए

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागणः–

1. श्री दर्शन सिंह बराड एडवोकेट — वादीगण
2. श्री खुशविन्द्र सिंह बराड एडवोकेट — प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3
3. राजपैरोकार — प्रतिवादीगण सं0 4

निर्णय **दिनांक– 07.11.19**

प्रकरण के सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गतधारा 88 व 53 आरटीए के तहत इस न्यायालय मे अन अभिकथनो के साथ प्रस्तुत किया कि कि प्रतिवादी सं0 1 सीताराम के नाम से राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 24 पीटीपी की जमाबंदी सं0 2070–2073 के खाता सं0 75/46 के प0न0 88/138 के मु0न0 2 के किला नं0 9,10,11,12 सालम, 13 मे 0.101 हैक्टयर कुल 1.113

5.667 हैक्टयर मय गैर मुमकिन रास्ता 0.100 हैक्टयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदार पटवार माल है । उक्त जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलन वादपत्र है।यह कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज उक्त वर्णित आराजी वादीगण की जद्दी जायदाद एवं पैतृक सम्पति है जिसमे वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है जिसे वादीगण प्राप्त करने के हकदार एवं अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज उक्त वर्णित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने करीब 10 वर्श पुर्व फैमलीसेटलमेण्ट के आधार पर घरू बंटवारा कर लिया था तथा उसी समय से वादीगण अपने हक व हिस्सा मे आई कब्जा काश्त की आराजी पर बिना किसी विघन के लगातार काबिज एवं काश्त करते आ रहे है। इसलिये वादीगण मुताबिक घरूबंटवारा के अपने अपने हक व हिस्सा मे आई कब्जा काश्त की आराजी मे से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करवाकर अपने अपने नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाने की घोशणा पाने एवं अपने अपने नाम अलग से खाता कायम करवाकर पानी बारी रेवन्यू अपने अपने नाम के हकदार एवं अधिकारी है। मुताबिक घरू बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के हक व हिस्सा मे आई कब्जा काश्त की आराजी निम्न प्रकार से है–वादी सं0 1 अनील कुमार के हक व हिस्सा मे आई कब्जा काश्त की आराजी चक नं0 27 पीटीपी के खाता सं0 75/46 के प0न0 88/138 के मु0न0 2 के किला नं0 11,12,सालम, 13 मे 0.101 है0 , तथा इसी चक के प0न0 87/138 के मु0न0 3 के किला नं0 21 ता 25 सालम कुल 1.872 हैक्टयर, वादी सं0 2 सुनील जालप के हक व हिस्सा मे आई कब्जा काश्त की आराजी चक नं0 24 पीटीपी के खाता सं0 75/46 के प0न0 88/1398 के मु0न0 2 मे किला नं0 9 व 10 सालम तथा इसी चक के प0न0 87/138 के मु0न0 3 के किला नं0 6 ता 9, 12 सालम व किला नं0 13 मे 0.101 हैक्टयर कुल 1.872 हैक्टयर, प्रतिवादी सं0 1 सीताराम के हक व हिस्सा मे आई कब्जा काश्त की आराजी चक नं0 24 पीटीपी के खाता सं0 75/46 के प0न0 88/138 के मु0न0 2 के किला नं0 13 मे 0.152 हैक्टयर एवं किला नं0 15 ता 20 कुल 1.923 हैक्टयर आराजी के खातेदार काश्तकार घोशित किया जावे। मुताबिक घरूबंटवारा व फैमलीसेटलमेण्ट के आधार पर वादीगण के हक व हिस्सा मे आई कब्जा काश्त की उक्त वर्णित आराजी वादीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड नही होने के कारण वादीगण को सरकार द्वारा दीजाने वाली लाभावित्त योजनाओ जैसे ऋण, मुआवजा राशि, अनुदान राशि से वचित रहना पड़ता है। इसलिये वादीगण अपने अपने हक व हिस्सा मे आई कब्जा काश्त की उक्त वर्णित आराजी मे से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करवाकर अपने नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाने की घोशणा पाने के हकदार एवं अधिकारी है। वादीगण का एवं प्रतिवादी का मुश्तर्का खाता होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के

है। इसलिये वादीगण अपने अपने हक व हिस्सा मे आई उक्त वर्णित आराजी का अपने अपने नाम से अलग से खाता कायम करवाने के हकदारएवं अधिकारी है। प्रतिवादीया सं0 2, वादीगण की सगी बहन व प्रतिवादी सं0 1 की पुत्री है। जो भाादीशुदा है तथा अपने ससुराल मे राजीखुशी से आबादी है तथा प्रतिवादीया सं0 2 ने अपने हक व हिस्से की आराजी का घरूबंटवारा के समय वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया था तथा प्रतिवादीया सं0 2 ने अपने हक व हिस्से की आराजी की कभी भी मांग नही की है तथा ना ही कभी कब्जा काश्त की है।यह कि वादीगण ने कई बार प्रतिवादी सं0 1 से कई बार तकाजा किया कि मुताबिक घरूबंटवारा के वादीगण के हक व हिस मे आई कब्जा काश्त की आराजी वादीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड करवाने मे सहमति प्रदान कर देवे तो प्रतिवादी सं0 1 आजकल आजकल कर समय निकालते रहे व टाल मटोल करते रहे तो वादीगण ने दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण से उक्त बात कही तो प्रतिवादीगण सामने स्पश्ट ईन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है। अतः वाद वादीगण की तरफ से पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जावे कि राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 24 पीटीपी की जमाबंदी सं0 2070–2073 के खाता सं0 75/46 के प0न0 88/138 के मु0न0 2 के किला नं0 11,12 सालम, 13 मे 0.101 हैक्टयर व पं0न0 87/138 के मु0न0 3 के किला नं0 21 ता 25 सालम कुल 1.872 हैक्टयर आराजी मे से प्रतिवादी सं0 1 सीताराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 1.872 हैक्टयर आराजी का वादी सं0 1 अनील कुमार को खातेदार काश्तकार घोशित किया जावे तथा इसी अनुसार वादी सं0 1 के नाम अलग से खाता कायम किया जावे। राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 24 पीटीपी की जमाबंदी सं0 2070–2073 के खाता सं0 75/46 के प0न0 88/138 के मु0न0 2 के किला नं0 9,10 सालम, व पं0न0 87/138 के मु0न0 3 के किला नं0 6 ता 9, 12 सालम, 13 मे 0.101 हैक्टयर कुल 1.872 हैक्टयर आराजी मे से प्रतिवादी सं0 1 सीताराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 1.872 हैक्टयर आराजी का वादी सं0 2 सुनील जालप को खातेदार काश्तकार घोशित किया जावे तथा इसी अनुसार वादी सं0 2 के नाम अलग से खाता कायम किया जावे। कि राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 24 पीटीपी की जमाबंदी सं0 2070–2073 के खाता सं0 75/46 के प0न0 88/138 के मु0न0 3 के किला नं0 13 मे 0.152 हैक्टयर, 14 ता 20 सालम कुल 1.923 हैक्टयर आराजी का प्रतिवादी सं0 1 सीताराम के नाम से अलग से खाता कायम किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की ओर से श्री खुशविन्द्र सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा

राजीनामा हो चुका है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा सहमति के आधार पर किया गया है। अतः मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जावे। जबाब स्टेट पेश हुआ कि राज्यहित को ध्यान मे रखते हुऐ वाद वादीगण मे उचित आदेश फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक राजीनामा व ईकबाल जबाब दावा वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने वादीगण के कथनो पर अपनी सहमति प्रकट करते हुऐ मुताबिक राजीनामा व ईकबाल जबाब दावा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निश्कर्श है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को जद्द्वी जायदाद होने का कथन करते हुऐ घरूबंटवारा के आधार पर घोशणा का अनुतोश चाहा गया जिसमे पक्षकारान द्वारा राजीनामा व ईकबाल जबाब दावा पेश कर मुताबिक राजीनामा व ईकबाल जबाब दावा पेश कर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण मे किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। इस प्रकार वादीगण द्वारा अपने दावा के दस्तावेजी साक्ष्य, ईकबाल कथनो, राजीनामा एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति मे वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 24 पीटीपी की जमाबंदी सं0 2070–2073 के खाता सं0 75/46 के प0न0 88/138 के मु0न0 2 के किला नं0 11,12 सालम, 13 मे 0.101 हैक्टयर व पं0न0 87/138 के मु0न0 3 के किला नं0 21 ता 25 सालम कुल 1.872 हैक्टयर आराजी मे से प्रतिवादी सं0 1 सीताराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 1.872 हैक्टयर आराजी का वादी सं0 1 अनील कुमार को खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है एवं इसी अनुसार वादी सं0 1 के नाम अलग से खाता कायम किया जावे। राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 24 पीटीपी की जमाबंदी सं0 2070–2073 के खाता सं0 75/46 के प0न0 88/138 के मु0न0 2 के किला नं0 9,10 सालम, व पं0न0 87/138 के मु0न0 3 के किला नं0 6 ता 9, 12 सालम, 13 मे 0.101 हैक्टयर कुल 1.872 हैक्टयर आराजी मे से प्रतिवादी सं0 1 सीताराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 1.872 हैक्टयर आराजी का वादी सं0 2 सुनील जालप को खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है तथा इसी अनुसार वादी सं0 2 के नाम अलग से खाता कायम किया जावे। राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 24 पीटीपी की जमाबंदी सं0 2070–2073 के

अलग से खाता कायम किया जावे। उक्तानुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते अलग अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। तहसीलदार को पालनार्थ पत्र जारी हो। यदि रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री की पालना की जावें। निर्धारित स्टाम्प डयुटी पेश होने पर उक्तानुसार ही डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला भुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ०७.११.१९ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

०७.११.१९

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर।

संख्याक–01

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्याः–

1. अनील कुमार पुत्र सीताराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 7 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. सुनील जालप पुत्र सीताराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 7 सादुलशहर तहसील सादुलशहर हाल निवासी आर 5 क्वाटर 5 थर्मल कालोनी प्रभात नगर सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

————वादीगण

बनाम

1. सीताराम पुत्र भयोपतराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 7 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. परमेश्वरी पत्नी सीताराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 7 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।
3. मंजू पुत्री सीताराम पत्नी विनोद प्रकाश जाति कुम्हार निवासी नजदीक तारघर हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ जं0 राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

————प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोशणा एंव खाता तकसीम

अन्तर्गतधारा 88, 53 आर टी ए

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री दर्शन सिंह बराड एडवोकेट वादीगण मिन जामिन मदई एवं श्री खुशविन्द्र सिंह एडवोकेट प्रतिवादी सं0 1 ता 3 मिन जानिब मुदायल पेश होकर हुक्त दिया जाता है व वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 24 पीटीपी की जमाबंदी सं0 2070–2073 के खाता सं0 75/46 के प0न0 88/138 के मु0न0 2 के किला नं0 11,12 सालम, 13 मे 0.101 हैक्टयर व पं0न0

का वादी सं0 1 अनील कुमार को खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है एवं इसी अनुसार वादी सं0 1 के नाम अलग से खाता कायम किया जावे। राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 24 पीटीपी की जमाबंदी सं0 2070–2073 के खाता सं0 75/46 के प0न0 88/138 के मु0न0 2 के किला नं0 9,10 सालम, व पं0न0 87/138 के मु0न0 3 के किला नं0 6 ता 9, 12 सालम, 13 मे 0.101 हैक्टयर कुल 1.872 हैक्टयर आराजी मे से प्रतिवादी सं0 1 सीताराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 1.872 हैक्टयर आराजी का वादी सं0 2 सुनील जालप को खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है तथा इसी अनुसार वादी सं0 2 के नाम अलग से खाता कायम किया जावे। राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 24 पीटीपी की जमाबंदी सं0 2070–2073 के खाता सं0 75/46 के प0न0 88/138 के मु0न0 3 के किला नं0 13 मे 0.152 हैक्टयर, 14 ता 20 सालम कुल 1.923 हैक्टयर आराजी का प्रतिवादी सं0 1 सीताराम के नाम से अलग से खाता कायम किया जावे। उक्तानुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते अलग अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। तहसीलदार को पालनार्थ पत्र जारी हो। यदि रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री की पालना की जावें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं न्यायालय मे मुद्रा से दिनांक 07.11.19 को जारी की गई।

07.11.19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

1-

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.11.14 11:08:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: